



Neutral Citation No.- 2026: AHC:179605

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29994/2026

काजल सोनकर

.....आवेदिका

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: अल्पना सिंह , ममता सिंह

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. श्री विनय कुमार सिंह एवं श्री हौसिला प्रसाद, अधिवक्ताओं ने सूचनादाता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है। इसे अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता, श्री अनुपम आनंद, राज्य-विपक्षी पक्ष कार की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता, श्री हौसिला प्रसाद को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 241/2026, अंतर्गत धारा 108 बी.एन.एस., थाना-बिथरीचैनपुर, जनपद-बरेली में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदिका को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदिका मृतक की पत्नी है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित घटना 24.04.2026 को हुई, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 03.05.2026 को दर्ज की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुई अत्यधिक देरी अभियोजन के मामले के लिए घातक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व फांसी के कारण दम घुटना है। इसके अतिरिक्त, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, मृतक की बहन के बयान तथा विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर धारा 108 बी.एन.एस. के अपराध के आवश्यक तत्व स्थापित नहीं होते हैं। आवेदिका, ने किसी भी प्रकार से, मृतक को आत्महत्या के लिए नहीं उकसाया है। केवल अपमान, उत्पीड़न अथवा आवेदिका द्वारा “जाओ और मर जाओ” जैसे शब्द कहे जाने मात्र से, जब तक आवेदिका की ओर से आत्महत्या के लिए कोई सकारात्मक

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उकसावा अथवा जानबूझकर सहायता का कृत्य न हो, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराध गठित नहीं होता। अपने तर्क के समर्थन में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निपुण अनेजा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या 654/2017, 03.10.2024 को निर्णित निर्णय तथा अभिनव मोहान देलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या 2177-2185/2024, 18.08.2025 को निर्णित निर्णय पर भरोसा जताया है निम्न निर्णयों पर भरोसा किया। विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। आवेदिका का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका 07.06.2026 से जेल में है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

5. राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया, किंतु अभिलेख से उपरोक्त प्रस्तुतियों का संतोषजनक रूप से खंडन नहीं कर सके।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व फांसी के कारण दम घुटना है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, मृतक की बहन के बयान तथा विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर धारा 108 बी.एन.एस. के अपराध के आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं होते हैं। आवेदिका के विरुद्ध ऐसा कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं है जिसे आत्महत्या के लिए उकसावे, षड्यंत्र या जानबूझकर सहायता के रूप में माना जा सके। इसके अतिरिक्त, आवेदिका दो महीने से अधिक समय से जेल में है और आरोप-पत्र दाखिल हो जाने के बाद मुकदमे के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है, तथा राज्य की ओर से ऐसा कोई उचित आधार भी सामने नहीं रखा गया है जिससे यह आशंका हो कि जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदिका साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगी, मुकदमे में देरी करेगी अथवा गवाहों को डराएगी, अतः, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरा मत है कि आवेदिका जमानत पर रिहा किए जाने की पात्र है।

7. आवेदिका- काजल सोनकर, उपर्युक्त मामले में संलिप्त, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतडर प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा किया जाए:-

- (i) विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होगी;
- (ii) अभियोजन के साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगी; तथा;
- (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगी।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अगस्त 25, 2026

(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है ।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।